भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2956
उत्तर देने की तारीख - 05.08.2026

एनईवीए में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

2956. श्री मितेश पटेल बकाभाईः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) को लागू करने में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसमें अवसंरचना, वित्तपोषण, डिजिटल क्षमता और विधायिकाओं द्वारा अपनाए जाने से संबंधित मुद्दे शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के कार्यान्वयन में एक ऐसी जेनेरिक एप्लीकेशन तैयार करनी शामिल थी जो अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में अपनाई जाने वाली अलग-अलग कार्य-प्रणालियों, तौर-तरीकों और कामकाज के तरीकों के अनुकूल हो। साथ ही, इसमें आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, शुरुआती डिजिटलाइज़ेशन, डिजिटल क्षमता और हितधारकों द्वारा कागज रहित विधायी प्रक्रियाओं को अपनाने में मौजूद अंतर का भी ध्यान रखना था। इन सभी पहलुओं को, एप्लीकेशन में सही कॉन्फ़िगरेशन शामिल करके, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी मैनपावर हेतु आर्थिक मदद देकर, क्षमता-निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करके, ज़रूरी सहायता (हैंडहोल्डिंग सपोर्ट) देकर और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के साथ लगातार तालमेल बिठाकर हल किया गया।
